संख्या-6/2025/वे0आ0-2-238/दस-2025-ई0प0सं0-10-27099/13/2024

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2025**

विषय : वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन द्वारा सचिवालय विशेष भत्ता के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के शासनादेश संख्या-531/बीस-1-ई-2016-515(1)/88टी0सी0, दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा सचिवालय भत्ता की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि (10 के गुणांक में पूर्णांकित करते हुए) इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गयी थी कि इसका समायोजन राज्य में गठित होने वाली वेतन समिति की संस्तुतियों पर सचिवालय भत्ते की दरों में पुनरीक्षण के समय कर लिया जायेगा।

2- वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन द्वारा सचिवालय विशेष भत्ता के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय तथा शासनादेश दिनांक 13 मई, 2016 के उक्त निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश दिनांक 13 मई, 2016 द्वारा अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ता की वर्तमान दर को तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत संशोधित किया जाये :-

क्र0	पदनाम	वर्तमान दरें (रू0 में)	संशोधित दरें (रू0 में)
1	2	3	4
1	टंकक/नैत्यिक लिपिक से निम्न वेतनमान के पद	790	950
2	टंकक/नैत्यिक लिपिक तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद (टंकक/नैत्यिक लिपिक से उच्च किन्तु सहायक समीक्षा अधिकारी से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित)	880	1050

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3	सहायक समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद सहायक समीक्षा अधिकारी से उच्च किन्तु समीक्षा अधिकारी से निम्न वेतनमान के पद भी सम्मिलित	1070	1275
4	समीक्षा अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद	1500	1800
5	**(अ)** अनुभाग अधिकारी तथा उसके समकक्ष वेतनमान के पद **(ब)** अनुभाग अधिकारी से उच्च एवं अनु सचिव से निम्न वेतनमान के पद	1880	2250
6	**(अ)** सचिवालय सेवा के अनु सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी **(ब)** अन्य सेवा के अनु सचिव पद पर तैनात अधिकारी	1940	2350
7	**(अ)** सचिवालय सेवा के उप सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी **(ब)** अन्य सेवा के उप सचिव पद पर तैनात अधिकारी	2070	2500
8	**(अ)** सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी **(ब)** अन्य सेवा के संयुक्त सचिव पद पर तैनात अधिकारी	2250	2700
9	**(अ)** सचिवालय सेवा के विशेष सचिव तथा उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी **(ब)** अन्य सेवा के विशेष सचिव पद पर तैनात अधिकारी	2500	3000

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए प्रस्तावित सचिवालय भत्ते में से क्रमश: रू0 400, रू0 200 एवं रू0 600 की कटौती पूर्ववत् जारी रखते हुए उन्हें उनके पदों पर सचिवालय भत्ता क्रमश: रू0 875, रू0 1600 एवं रू0 1650 दिया जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2025/वे0आ0-2-238(1)/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल।

आज्ञा से,

पुष्पराज,

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in